(261)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0आर्य

सदस्य

प्रकरण कमांक 1856–तीन/2017 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 29–5–2017– पारित व्दारा – तहसीलदार, तहसील अशोकनगर – प्रकरण कमांक 903/2016–17 बी–121

राजपाल सिंह पुत्र मंजीत सिंह सिक्ख
ग्राम मोहरीराय तहसील अशोकनगर
जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश । ––––आवेदक

विरूद्व

1– तहसीलदार, तहसील अशोकनगर
2– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर जिला रीवा ––––असल अनावेदक

1– सुखपाल कौर पत्नि राजपाल सिंह सिक्ख
2– मंजीत सिंह पुत्र दिलावर सिंह सिक्ख
3– करमजीत कौर पत्नि मंजीत सिंह सिक्ख
4– जगपाल सिंह पुत्र मंजीत सिंह सिक्ख
5– जयदीप सिंह पुत्र जगपाल सिंह सिक्ख
6– हरदम सिंह, गुरुन्तेज सिंह,गुरुलाभ सिंह
दर्शनसिंह पुत्रगण जरनेल सिंह
लखविन्दर सिंह पुत्र गुरुतेज सिंह
अवतार सिंह पुत्र जरनेल सिंह
हरबिन्दर सिंह, निर्मल सिंह पुत्रगण जोगासिंह
अजेवसिंह पुत्र गुरुदेव सिंह
अवतार सिंह पुत्र प्रीतम सिंह
जसबंत सिंह पुत्र करतार सिंह
सतनामसिंह , बल्देव सिंह पुत्रगण बचन सिंह
हरदेवसिंह पुत्र दरवारासिंह
रणजीत कौर पत्नि बख्तावर सिंह, जसबिन्दर
पुत्र करतार सिंह सभी जाति सिक्ख
सभी निवासी ग्राम मोहरीराय तहसील अशोकनगर
7– आकाश पुत्र जगपाल सिंह सिक्ख
8– गुरुजोत सिंह पुत्र रामपाल सिंह
9– शिन्दरपाल कौर पत्नि प्रीतम सिंह सिक्ख
10– जसपाल कौर पत्नि मलकीत सिंह सिक्ख
11– सुखवीर कौर पत्नि जगपालसिंह सिक्ख
सभी निवासी मोहरी राय तहसील अशोकनगर ––फार्मल अनावेदकगण

कृ0पृ030––––2

(आवेदक के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक)
(अनावेदक 1,2 के पैनल लायर श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 30 — 8 —2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार अशोकनगर द्वारा प्र0क0 903/16—17 बी—121 में पारित आदेश दिनांक 29—05—2017 के विरुद्ध म0प्र0 भू. राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक एंव फार्मल अनावेदक के परिवार में धारित कुल किता 20 कुल रकबा 18.194 हैक्टर (नामांत्रण पॅंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि पर अंकित अनुसार) भूमियों (आगे जिन्हें वादग्रस्त भूमियों सम्बोधित किया गया है) का सहमति बटवारा ग्राम मोहरी राय की नामान्तरण पॅंजी के सरल कमांक 2 पर आदेश दिनांक 8—3—2016 से किया गया। किन्हीं परमाल सिंह यादव द्वारा बटवारे में अनियमिततायें किये जाने की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर को की गई, जिस पर से तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 903/2016—17 बी—121 पॅंजीबद्ध किया तथा आर्डरशीट दिनांक 31—3—17 लिखकर अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर से पुनरावलोकन की अनुमति मांगी। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने Permitted लिखकर मूल प्रकरण तहसीलदार को वापिस कर दिया। तहसीलदार अशोकनगर ने वादग्रस्त भूमियों के धारकों के विरुद्ध अंतरिम आदेश दिनांक 26—5—17 से एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 29—05—2017 पारित किया तथा नामान्तरण पॅंजी कमांक 2 पर आदेश दिनांक 8—3—2016 से किया गया सहमति बटवारा निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एंव असल

अनावेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार अशोकनगर ने अंतरिम आदेश दिनांक 31-3-17 से अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर को पुनरावलोकन प्रस्ताव भेजने के पूर्व आवेदक अथवा तरतीवीं अनावेदकगण को नहीं सुना है और अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने पक्षकारों की सुनवाई किये बिना पुनरावलोकन अनुमति प्रदान की है इसलिये पुनरावलोकन प्रकिया सही नहीं है। वादग्रस्त भूमि का घरेलू बटवारा पूर्वजों के समय से था और घरेलू बटवारे के अनुसार पक्षकार हिस्सों में प्राप्त भूमियों पर काविज होकर खेती करते आ रहे हैं अभिलेख में बटवारे का अमल न होने से सहमति के आधार पर घरेलू बटवारे का अमल कराया है। सहमति बटवारे को केवल हितबद्ध पक्षकार चुनौती दे सकते है शिकायतकर्ता असम्बद्ध होने से सहमति बटवारे को चेलेंज नहीं कर सकता, जिस पर से बटवारा निरस्त करना न्याय नहीं है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि एकल पक्षकारों के नाम की भूमि को आदेश दिनांक 8-3-2016 से कई पक्षकारों के बीच अनियमित विभाजन किया गया है तहसीलदार ने पुनरावलोकन प्रकरण में पक्षकारों को सूचना भेजी थी किन्तु वह जानबूझकर अनुपस्थित रहे हैं इसलिये इस निगरानी में कोई सहायता पाने के पात्र नहीं है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव तहसीलदार अशोकनगर के प्रकरण कमांक 903/2016-17 बी-121 के अवलोकन पर परिलक्षित है कि तहसीलदार अशोकनगर ने आदेश के प्रथम पद में अंकित किया है कि श्री परमाल सिंह यादव द्वारा की गई शिकायत जांच

हेतु प्राप्त हुई जिसमें ग्राम मोहरी राय की 450 वीघा भूमि पर नियम विरुद्ध बटवारा किया गया है। इसी शिकायत पर से उन्होंने पुनरावलोकन प्रकरण दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर से पुनरावलोकन अनुमति मांगी है। पुनरावलोकन के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 (तीन) इस प्रकार है -

"किसी भी ऐसे आदेश का पुनरावलोकन जो प्राइवेट व्यक्तियों के बीच अधिकार सम्बन्धी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता हो, कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के आवेदन पर ही किया जाएगा अन्यथा नहीं ।"

वादग्रस्त भूमि से शिकायतकर्ता परमाल सिंह यादव सम्बद्ध नहीं है तथा किये गये बटवारे से उसके हित भी प्रभावित नहीं है, तब उसे वादग्रस्त भूमि से अथवा पुनरावलोकन प्रकरण से हितबद्ध नहीं माना जा सकता और ऐसे पक्षकार के आवेदन पर तहसीलदार अशोकनगर व्दारा पुनरावलोकन प्रकरण दायर करके आदेश दिनांक 8-3-2016 का पुनरावलोकन करना नियम विरुद्ध कार्यवाही है।

6/ अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि एकल पक्षकारों के नाम की भूमि को आदेश दिनांक 8-3-2016 से कई पक्षकारों के हित में अनियमित विभाजन किया गया है। यदि संयुक्त सिक्ख परिवार की भूमि एकल व्यक्ति के नाम से अर्जित है अथवा संयुक्त परिवार की भूमि अन्य श्रोत सें एकल व्यक्ति के नाम आई है तो एकल खाता धारक समस्त परिवार के बीच भूमि के विभाजन पर आपत्ति न करते हुये सहमति प्रदान करता है -ऐसे एकल धारक व्दारा धारित भूमि संयुक्त परिवार की मानी जाकर सहमति विभाजन किया जा सकता है।

" सारथी विरुद्ध कमला 1966 रा0नि0 398 में बताया गया है कि यदि प्रविष्टि में सह भूमिस्वामियों के अंशों का उल्लेख न हो तब अनुमान यह होगा कि उनके अंश समान हैं। "

" बैजू विरुद्ध मुलायम वाई 1965 रा0नि0 465 एंव पैतराम विरुद्ध राजस्व मण्डल

1968 R.N. 158 = J.L.J. 304 के न्याय दृष्टांत हैं कि अनेक प्रसंग ऐसे होते हैं कि विशेषतः हिन्दू संयुक्त परिवार में , जिसमें बहुधा केवल कर्ता का नाम प्रविष्टि होता है। उपधारा (1) में किसी सह भूमिस्वामी का उस रुप में प्रविष्ट होना आवश्यक नहीं माना गया है। यदि ऐसा व्यक्ति जो सह भूमिस्वामी के रुप में प्रविष्टि नहीं है खाते के विभाजन का आवेदन करे और यदि उसके द्वारा अन्य सह भू—धारी अस्वीकार करे तब भी उसका आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता।

विचाराधीन प्रकरण में बटवारा कार्यवाही पर परिवार के समस्त हितधारी सहमत हैं विभाजन कार्यवाही को अनियमित कार्यवाही नहीं माना जा सकता, किन्तु तहसीलदार अशोकनगर ने वादग्रस्त भूमि के धारकों को सुनवाई का अवसर दिये बिना अंतरिम आदेश दिनांक 26—5—17 से एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 29—05—2017 पारित करने में त्रुटि की है जिसके कारण उनके द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वादग्रस्त भूमि का घरलू बटवारा पूर्वजों के समय से है और घरेलू बटवारे के अनुसार पक्षकार अपने अपने हिस्सों की भूमियों पर काबिज होकर खेती कर रहे हैं किन्तु अभिलेख में बटवारे का अमल न होने से सहमति के आधार पर बटवारा कराया है — तथ्य पर विचार किया गया।

" रामकिशन विरुद्ध चंपालाल 1996 राजस्व निर्णय 292 में विवेचित किया गया है कि पिता द्वारा कुटुम्ब के मध्य संपत्ति का विभाजन किये जाने के पश्चात् उसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। "

प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि का घरलू बटवारा पूर्वजों के समय से है जिस पर सभी हितबद्ध सहमत हैं और घरेलू बटवारे के अनुसार पक्षकार अपने अपने हिस्सों की भूमियों पर काबिज होकर खेती कर रहे हैं तथा परिवार के समस्त सदस्यों द्वारा सहमत होकर आदेश दिनांक 8—3—2016 से घरेलू बटवारे का अमल मात्र

कराया है और सहमति बटवारे को किसी सहभूधारक द्वारा अपील/निगरानी में चेलेंज भी नहीं किया है जिसके कारण वादग्रस्त भूमि से असम्बद्ध व्यक्ति की शिकायत पर पुनरावलोकन में प्रकरण दर्ज कर आदेश दिनांक 29-5-17 से बटवारा आदेश दिनांक 8-3-2016 निरस्त करना उचित नहीं माना जा सकता।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 903/2016-17 बी-121 में पारित आदेश दिनांक 29-05-2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव ग्राम की नामान्तरण पॅजी कमांक 02 पर दिया गया बटवारा आदेश दिनांक 8-3-2016 यथावत् रखते हुये निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर